प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 10 दिसम्बर, 2025

विषयः- केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी रूना देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र, निवासिनी जनपद-मिर्जापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-14762/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-31.03.2023, दिनांक 09.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार महिला बन्दी रूना देवी पत्नी स्व0 राजेन्द्र, ग्राम-पडरिया, थाना-मडिहान, जनपद-मिर्जापुर की निवासिनी है। महिला बन्दी द्वारा अवैध सम्बन्ध गांव के बुल्लूर व मेघा के साथ होने पर पति राजेन्द्र द्वारा विरोध किये जाने के कारण दिनांक 18.05.2007 को 02 सहअभियुक्त के साथ मिलकर गला दबाकर अपने पति राजेन्द्र की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या- 234/2007 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 201 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मीरजापुर के आदेश दिनांक 05.07.2017 (पताका-x) द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 11 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष 06 माह 26 दिन की सजा काटी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर ने संबंधित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित होने, भविष्य में पुनः अपराधिक कृत्य करने से इंकार नहीं होने, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, जेल में निरूद्ध रहने से उदाहरण स्वरूप समाज में कानुन का भय बने रहने, समयपूर्व रिहाई से सामाजिक परिवर्तन की संभावना नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लेख किया गया है कि महिला बन्दी की 35 वर्ष की आयु, महिला बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2023 तक अपरिहार 05 वर्ष, 11 माह, 21 दिन तथा सपरिहार 07 वर्ष, 06 माह, 26 दिन की भोगी गयी सजा तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मीरजापुर द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बंदी रूना देवी (बन्दी संख्या-109/2019) पत्नी स्व0 राजेन्द्र, निवासिनी जनपद-मिर्जापुर की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-1522/2025/2054(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मिर्जापुर।

2- अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, प्रयागराज।

3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।